न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 81 / 2025

योगेश कुमार निवासी डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 23.09.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

यह है कि वर्ष 2018 में प्रशिक्षणाधीन तहसील राजस्व लेखाकार के माह जनवरी 2018 से अप्रेल 2018 तक या 2018 में जो भी तहसील राजस्व लेखाकार प्रशिक्षण में भाग लिया कि उपस्थिति पंजिका की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 1778 दिनांक 09.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 840 दिनांक 15.09.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध प्रिसींपल ए.पी.आर.टी.एस. टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 744 दिनांक 01.08.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 745 दिनांक 01.08.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रिसींपल ए.पी.आर.टी.एस. टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट प्रिसींपल ए.पी.आर.टी.एस. टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक